फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

जयनारायण बनाम राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र 136 एल.आर.एक्ट मु0नं0– 17/2024

पीठासीन अधिकारी– यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.3.24	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते निवेदन किया कि वाके ग्राम मानपुर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 469 एवं 470 तथा 471 में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 अशुद्ध नाम जेईयन पुत्र छोटानाथ सरपरस्त माता हीरा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थी जयनारायण को बचपन में जेईयन बोलते थे इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी जयनारायण के स्थान पर जेईयन पुत्र छोटानाथ दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के पिता का सही नाम भी छोटेराम है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जेईयन पुत्र छोटेनाथ के स्थान पर जयनारायण पुत्र छोटेराम दर्ज किया जावे एव नाबालिग इन्द्राज को हटाया जावे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम जयनारायण दर्ज है तथा प्रार्थी की माता हीरा देवी एवं अन्य खातेदार विजय, घनश्याम एवं जयनारायण द्वारा प्रार्थी का सही नाम जयनारायण होने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम मानपुर तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 469 एवं 470 तथा 471 में प्रार्थी का नाम जेईयन के स्थान पर जयनारायण दर्ज करने एवं नाबालिग इन्द्राज को हटाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09.03.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	